

Regd.

संख्या: EDN-H (Ele.) (4)-4-46/2017-19-20 (RTE)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171001
दिनांक शिमला-171001

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
नवम्बर, 2020
03 NOV 2020
शिमला--1

सेवा में,

समस्त उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।

विषय:

Regarding Submission of fee reimbursement cases under 25 Reservation
to weaker Section and Disadvantages groups children's under section 12.

महोदय

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शिका अधिसूचना संख्या:

ईडीएन-सी-ए (3)-3/2013-Vol-I- दिनांक 06-06-2015 एव CWP NO. 355 of 2013 Smt. Namita Maniktala Vs. State of Himachal Pradesh and Other पर दिनांक 30-08-2016 को दिये गये निर्णय की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12 के नियमानुसार हिमाचल प्रदेश के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश के समय (पहली कक्षा) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के छात्रों हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है और प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष फीस प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय प्रावधान रखा है, परन्तु कुछ जिलों से फीस प्रतिपूर्ति हेतु कोई भी मामला उपलब्ध न होने के कारण हर वर्ष बजट पूर्णतया वहन नहीं हो रहा है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने जिला से सम्बन्धित फीस प्रतिपूर्ति हेतु सम्पूर्ण मामलों समस्त दस्तावेजों सहित सरकार/विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार तैयार करके भली-भान्ति परीक्षणोपरान्त अपनी सिफारिश सहित 15 नवम्बर, 2020 तक इस निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त मामले में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

इसे अति आवश्यक समझा जाए।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा हि0प्र0

शिमला-171001

Local No. EDN-U (4-B) RTE (25% Res.) Pvt. Schools/2020-21/-4362
Dated! - 10.11.2020

The copy of letter is being forwarded to all the BEEOs / Managing Director and principals of Pvt. Schools and hereby directed to provide the above said information within 3 days positively to this office.

Deputy Director of Elementary
Education Una, Distt. Una (H.P.)